संख्या ए-22020/1/2008-प्रशासन IV

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली,

दिनांक: फ़रवरी, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय: शहरी विकास मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों के कार्मिकों को रोटेशनल स्थानांतरण।

अधोहस्ताक्षरी को निम्न श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, सहायक और अनुभाग अधिकारी स्तर के कार्मिकों के रोटेशनल स्थानांतरण के संबंध में इस मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग के दिनांक 13/01/2012 के चार (4) कार्यालय ज्ञापन सं. ए-22020/1/2008-प्रशासन IV का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इन आदेशों के संबंध में कार्यान्वयन रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

2. यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस मंत्रालय को रोटेशनल स्थारनांतरण के लिए कार्रवाई शुरू करनी है। अनुपालन रिपोर्टों के प्राप्त न होने के कारण ऐसे स्थानांतरण के अगले चरण में अडचनें पैदा हो रही हैं।

3. उपरोक्त के मद्देनजर, सभी से अनुरोध किया जाता है कि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को तत्काल कार्यभार मुक्त कर दिया जाए और इस आशय की अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 23/02/2012 तक अधोहस्ताक्षरी को अवश्य प्रस्तुत कर दी जाए।

(जितेंद्र कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. शहरी विकास मंत्रालय के सभी उप सचिव/निदेशक।
2. उप निदेशक (प्रशासन), संपदा निदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. उप निदेशक (प्रशासन), मुद्रण निदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. ई.सी. (IV) मंत्रालयीन संवर्ग (एम.सी.), कैंद्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. उप भूमि और विकास कार्यालय (प्रशासन), भूमि और विकास कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:

i) वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, शहरी विकास।

ii) एनआईसी प्रकोष्ठ को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।